


स्वास्थ्य विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

दिनांक-.....३०.७.१५.....

सं०स०-३/एल-६-१-०३/२०१५ ३००(३) डा० सुनीता प्रसाद,
महिला चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक
विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम-७४(बी०)-सह-पठित वित्त विभागीय
पत्रांक-६१९०, दिनांक-२७.०४.१९७९ में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की
तिथि से ऐच्छक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के उप सचिव
५२७६६

ज्ञापांक-सं०स०-३/एल-६-१-०३/२०१५ ३००(३) दिनांक-.....३०.७.१५.....


प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त
(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ/सिविल सर्जन, सदर अस्पताल,
पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/डा० सुनीता प्रसाद, महिला चिकित्सा
पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के
आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,
पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-२, ३ एवं ९, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव
५२७६६